राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2425/2025

किशन लाल यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, साख्यिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, निदेशालय आर्थिक सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2025
आदेश की दिनांक : 19.05.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस में दिनांक 31.01.2025 के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 05.032025 एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन के जवाब में प्रेषित पत्र दिनांक 03.07.2023 को चुनौती दी गई है और इन दोनों आदेशों को अपास्त किए जाने का निवदेन किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वाराअपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रेषित जवाब दिनांक 05.03.2025 (अनुलग्नक–1) निम्न प्रकार हैः–

''1. आपके द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस के बिन्दु संख्या 1 से 3 क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6546ध्2023 में पारित दिनांक 01.05.2023 के आदेश के क्रम में श्री किशन लाल यादव, सांख्यिकी निरीक्षक के अभ्यावेदन पर विचार किया गया। इस क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक 4112404 दिनाक 02.07.2023 के द्वारा श्री किशन लाल यादव को जयपुर जिले में सांख्यिकी निरीक्षक का पद रिक्त नहीं होने एवं स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के संबंध में पत्र द्वारा अवगत करवा दिया गया था।

2. बिन्दु संख्या (4) जिसके द्वारा श्री किशन लाल यादव, सांख्यिकी निरीक्षक ने उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2024 प्रस्तुत कर जयपुर जिले में चार कार्यालयो में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि कर्मचारियो के स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किये गये है।''

साथ ही अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 03.07.2023 (अनुलग्नक–3) निम्न प्रकार हैः– ''उपरोक्त विषय र्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 01.05.2023 के क्रम में उक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जयपुर जिले में स्थानान्तरण/पदस्थापन चाहा है। वर्तमान में जयपुर जिले में सांख्यिकी निरीक्षक का पद रिक्त नहीं है एवं वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। अतः जयपुर जिले में आपका पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है।''

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उक्त दोनों पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी जयपुर जिले में स्थानान्तरण/पदस्थापन चाहता है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में सांख्यिकी निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। दोनों ही पत्रों में यह अंकित किया गया है कि जयपुर में सांख्यिकी के पद रिक्त नहीं होने के कारण और स्थानान्तरण प्रतिबंधित होने के आधार पर अपीलार्थी का जयपुर जिले में पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है।

उक्त दोनों पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करवाया गया है। अपीलार्थी के संबंध में कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसे अधिकरण में चुनौती दी जा सके। अतः हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष